रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2421] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940
No. 2421] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2018

का.आ. 3170(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, **निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एतद्द्वारा** राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात:-

(i)	श्री भोगी लाल सरन, भारतीय वन सेवा(सेवानिवृत्त) पी-4बी/226, केनरा बैंक के नजदीक, सेक्टर-27, नया रायपुर, छत्तीसगढ़-492015	- अध्यक्ष
(ii)	डॉ. समीर बाजपेयी, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर	- सदस्य
(iii)	सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, आवासीय और पर्यावरण विभाग	- सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

4. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन गठित की गई राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपना विनिश्चय करेगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को सहायता करने के प्रयोजनार्थ छत्तीसगढ़ सरकार से परामर्श करके राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:-

(i)	श्री धीरेन्द्र शर्मा, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) प्लॉट नं.-257/2, वसंत विहार (फेज-।।) चकराता रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248006	अध्यक्ष;
(ii)	डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, बिलासपुर	सदस्य;
(iii)	श्री अरविंद कुमार गौराहा, 207, चन्द्रा पार्क, बृहस्पति बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001	सदस्य;
(iv)	श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, प्लॉट सं. 20, प्रियंका नगर, रिशाली सेक्टर, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़-490006	सदस्य;
(v)	डॉ. एम.डब्ल्यू. वाई. खान, प्रोफेसर, जियोलॉजी, पं. रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, रायपुर	सदस्य;
(vi)	डॉ. विकास कुमार जैन, एसोसियेट प्रोफेसर, रसायन विभाग, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, रायपुर	सदस्य;
(vii)	डॉ. दीपक सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन, गवर्नमेंट नागार्जुन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, रायपुर	सदस्य;
(viii)	उप-सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, आवास और पर्यावरण विभाग	सदस्य सचिव

6. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियों का अनुपालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

8. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति प्राप्त नहीं हो पाती है तब बहुमत अभिभावी होगा।

IndiaCode

9. छत्तीसगढ़ सरकार प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के लिए एक सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकरण अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन तथा उनके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्यों और राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसरण में संदेय होंगे।

[फा. सं. जे-11013/41/2007-आईए.।। (।)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Notification

New Delhi, the 29th June, 2018.

S.O. 3170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuanceof the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority,Chhattisgarh(hereinafter referred to as the Authority,Chhattisgarh) comprising of the following members, namely: -

(i).	Shri Bhogi Lal Saran, IFS (Retd.), P4B/226 near Canara Bank, Sector 27, New Raipur, Chhattisgarh - 492015.	-	Chairman;
(ii).	Dr. Samir Bajpai, Professor, Civil Engineering Department, National Institute of Technology, Raipur.	-	Member;
(iii).	Secretary, Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department.	-	Member Secretary.

2. The Chairman and members of the Authority,Chhattisgarhshall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority,Chhattisgarh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority,Chhattisgarh shallbase its decision onthe recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 of this notification for the StateofChhattisgarh.

5. For the purposes of assisting the Authority,Chhattisgarh, the Central Government, in consultation with the Government of Chhattisgarh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Chhattisgarhcomprising of the following members, namely:-

(i).	Shri Dhirendra Sharma, I.F.S. (Retired) Plot No.-257/2, Vasant Vihar (Phase-II), Chakrata Road, Dehradun, Uttarakhand- 248006.	Chairman;
(ii).	Dr. Mohan Lal Agarwal, Professor & Head Civil Engineering Department, Government Engineering College, Bilaspur.	Member;

(iii).	Shri Arvind Kumar Gouraha, 207, Chandra Park, Brihaspati Bazar, Bilaspur, Chhattisgarh - 495001.	Member;
(iv).	Shri Nileshwar Prasad Sahu, Plot No. 20, Priyanka Nagar, Rishali Sector, Bhilai, District - Durg, Chhattisgarh - 490006.	Member;
(v).	Dr. M.W.Y. Khan, Professor, Geology, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.	Member;
(vi).	Dr. Vikas Kumar Jain, Associate Professor, Department of Chemistry, Government Engineering College, Raipur.	Member;
(vii).	Dr. Deepak Sinha, Assistant Professor in Chemistry, Government Nagarjun Post Graduate College of Science, Raipur.	Member;
(viii).	Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Housing and Environment Department	Member Secretary.

6. The Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee,Chhattisgarh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee,Chhattisgarh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee,Chhattisgarh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of Chhattisgarhshall notify an agency to act as Secretariat for the Authority,Chhattisgarhand the State Level Expert Appraisal Committee,Chhattisgarh, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of the Authority,Chhattisgarh and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Chhattisgarhshall be paid in accordance with the relevantrules of the Government of Chhattisgarh.

[F. No. J-11013/41/ 2007-IA.II (I)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.07.03 18:27:29 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.